न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निग-3208-I-16 प्रकरण कं.....

महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यालय
प्रबंध न्यासि श्री गिरीश चन्द्र वर्मा
आत्मज श्री के.के. वर्मा साकिन गाजियाबाद,
उ.प्र. द्वारा प्राचार्य श्री सतवीर सिंह
आत्मज श्री नेतराम सिंह आयु वयस्क
पता– महर्षि विद्या मंदिर, लहदरा, सागर, म.प्र..... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

सुधीर सोनी जड़िया आत्मज
श्री रामबाबू जड़िया आयु वयस्क
निवासी– गांधी चौक, वार्ड सागर, म.प्र. ..... उत्तरदाता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

सहपठित धारा 9 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर, म.प्र. द्वारा प्रकरण कं. 1139/बी –121/15–16 में पारित आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 20/07/2016 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में न्यायदान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के तथ्य

1. यह कि उत्तरदाता ने अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि मौजा लहदरा में स्थित भूमि खसरा कं. 238, 239, 240, 243, 244, 296 के संपूर्ण रकबा पर निगरानीकर्ता द्वारा कास्तकारी भूमि को बिना अुनमति से संस्थान बनाने एवं बिना अनुमति, बिना डायवर्सन के विद्यालय का निर्माण करने, शासकीय नाले को दबाने, उत्तरदाता के स्वामित्व की भूमि को भी अतिक्रमण कर बाउन्ड्रीवॉल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-3208-एक/2016 जिला सागर महर्षि वेदविज्ञान विरूद्ध सुधीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 1139/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। (19.09.2016) 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य